

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक— मु० ३०-४ (मु०) रा० यो०-०३-११/२०२० - ३६७३

/पटना, दिनांक— २४/९/२०२०

प्रेषक,

संजय दूबे भा० प्र० से०
अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी)
बिहार, पटना।

विषयः— योजना शीर्ष ४५१५—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय—१०३—ग्राम विकास—राज्य योजना—०१०५—ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबाड सम्पोषित योजना) उपशीर्ष के अन्तर्गत राज्य के मुंगेर जिलान्तर्गत कार्य प्रमंडल, मुंगेर के अधीन बरियारपुर प्रखंड के रतनपुर से डंगरा चक तक पथ निर्माण कार्य जिसकी लम्बाई २.६० कि० मी० निर्माण की राशि रु० २१६.६७ लाख प्रोटेक्शन कार्य की राशि रु० २४.७१ लाख, सी० डी० वर्क्स की राशि रु० ९१.०९ लाख एवं अनुरक्षण की राशि रु० १८.३० लाख अर्थात् कुल राशि ३५०.७७ लाख (तीन करोड़ पचास लाख सतहतर हजार रुपये) मात्र की राशि पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार योजना शीर्ष ४५१५—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय—१०३—ग्राम विकास—राज्य योजना—उप शीर्ष—०१०५—ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबाड सम्पोषित योजना) उप शीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष २०२०-२१ में बिहार राज्य के मुंगेर जिलान्तर्गत कार्य प्रमंडल, मुंगेर के अधीन बरियारपुर प्रखंड के रतनपुर से डंगरा चक तक पथ निर्माण कार्य जिसकी लम्बाई २.६० कि० मी० निर्माण की राशि रु० २१६.६७ लाख प्रोटेक्शन कार्य की राशि रु० २४.७१ लाख, सी० डी० वर्क्स की राशि रु० ९१.०९ लाख एवं अनुरक्षण की राशि रु० १८.३० लाख अर्थात् कुल राशि ३५०.७७ लाख (तीन करोड़ पचास लाख सतहतर हजार रुपये) मात्र की राशि पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किया जाता है।

१. इस योजना को वित्तीय वर्ष २०२०-२१ एवं २०२१-२२ में पूरा किये जाने का लक्ष्य है।
२. कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मुंगेर संबंधित योजना के कार्य राज्यालय हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। कार्य निविदा के माध्यम से कराया जाएगा।
३. योजना के क्रियान्वयन से पूर्व इस पर सक्षम पदाधिकारी से प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त कर ली जायगी।
४. इस योजना का व्यय योजना शीर्ष ४५१५—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय—१०३—ग्राम विकास—राज्य योजना—०१०५—ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबाड ऋण सम्पोषित योजना)—उपशीर्ष जिसका विपत्र कोड—३७-४५१५००१०३०१०५ है, के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष २०२०-२१ में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
५. योजना शीर्ष ४५१५—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय—१०३—ग्राम विकास—राज्य योजना—०१०५—ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबाड ऋण सम्पोषित योजना) उपशीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष २०२०-२१ में ३००.०० करोड़ रुपये का बजट उपबंध स्वीकृत है।
६. संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा योजनाओं का वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह के पॉच तारीख तक ऑनलाईन प्रविष्टि कराते हुए अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल, मुंगेर एवं मुख्य अभियंता के गाध्यम से विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे।
७. कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मुंगेर यह सुनिश्चित करेंगे कि वह योजना किसी अन्य योजना शीर्ष अंतर्गत स्वीकृत नहीं है।
८. इस योजना का चयन माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा संचिका सं०— मु० ३०-४ (मु०) २० यो०-०३-११/२०२० के पृ० सं०-०३/टि० पर दिनांक २१.०९.२०२० को किया गया।
९. इस योजना के स्वीकृति सक्षम प्राधिकार सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा संचिका सं०— मु० ३०-४ (मु०) २० यो०-०३-११/२०२० के पृ० सं०-०५/टि० पर प्राप्त है।

24/9/2020

10. ब्रांडा के निर्धारित प्रावधान/प्रक्रिया के आलोक में बजट प्रावधान के अंतर्गत राशि की निकासी की जायेगी।
11. कार्यपालक अभियंता (PIU) का उत्तरदायित्व होगा कि कार्यों का विशिष्टिताओं/विशिष्टि के अनुरूप कार्यान्वित करा कर एकरारनामा एवं सुसंगत वित्तीय प्रावधानों के पालन उपरान्त पूर्णतः संतुष्ट होकर ही राशि की निकासी एवं व्यय करेगे।
12. वित्त विभाग के संकल्प संख्या-3758 दिनांक 31.05.2017 में निहित निदेशों का अधारश: पालन किया जायेगा तथा बिहार वित्त नियमावली के सुरांगत प्रावधानों के आलोक में उपर्युक्त राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जायेगी।
13. यह आदेश आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त कर निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं0- मु0 अ0-4 (मु0) रा0 यो0 03-11/2020 के पू0 सं0-7 /टि0 पर दिनांक 24-9-2020 को प्राप्त है।
14. यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुर्णविनियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।
15. प्राक्कलन की विशिष्टिताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अंदर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
16. योजना के कार्यान्वयन के क्रम में इनका निर्धारित निरीक्षण सरकार से निर्गत आदेशों में प्रावधानित सक्षम नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा नियमित अंतराल पर अनिवार्य रूप से किया जायेगा एवं कार्यों को सासमय तथा गुणवत्तापूर्वक संपन्न कराना सुनिश्चित कराया जायेगा। योजना के कार्यान्वयन में अनियमितता की स्थिति में दोषी पदाधिकारी उत्तरदायी माने जायेंगे।
17. वित्त विभाग के पत्रांक-770, दिनांक 20.09.11 के द्वारा सूचित किया गया है कि RIDF के अन्तर्गत नई परियोजनाओं की प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही स्वीकृति हेतु नावाले को भेजी जाये।

विश्वरामाजन

२५/९/२०२०

(संजय यूद्धे)
अपर संविवेदन

/पटना, दिनांक-24/9/2020

ज्ञापांक- मु0 अ0-4 (मु0) रा0 यो0-03-11/2020 - 3673 प्रतिलिपि- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

२५/९/२०२०

अपर संविवेदन

/पटना, दिनांक 24/9/2020

ज्ञापांक- मु0 अ0-4 (मु0) रा0 यो0-03-11/2020 - 3673 प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी, निर्माण भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

२५/९/२०२०

अपर संविवेदन

/पटना, दिनांक 24/9/2020

ज्ञापांक- मु0 अ0-4 (मु0) रा0 यो0-03-11/2020 - 3673 प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त संविवेदन/प्रधान संविवेदन योजना संग विकारा विभाग/वित्त विभाग (आय-व्यय शाखा)/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग/विक्रियालय संविवालय एवं समन्वय विभाग/कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग/प्रगतिलीय आयुक्त, मुंगेर/जिला पदाधिकारी, मुंगेर/उप विकास, आयुक्त मुंगेर/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग/संविवेदन सह इम्प्रावर्ड ऑफिसर ब्रांडा/मुख्य अभियंता-2, पटना ग्रा0 का0 वि0/मु0 अ0-4 (मुख्यालय) ग्रा0 का0 वि0/अधीक्षण अभियंता, ग्रा0 का0 वि0, कार्य अंचल, मुंगेर/कार्यपालक अभियंता, ग्रा0 का0 वि0 कार्य प्रमंडल, मुंगेर/मुख्य अधिकारी, ग्रा0 का0 वि0, कार्य अंचल, मुंगेर/कार्यपालक अभियंता, ग्रा0 का0 वि0 कार्य प्रमंडल, मुंगेर/मुख्य महाप्रबंधक, नावार्ड; बिहार क्षेत्रीय कार्यालय (मौर्या कारपलेक्स पॉचर्वी मंजिल) डाक बंगला रोड, पटना, झार्खण्डी ०८० मैनेजर, ग्रा0 का0 वि0 को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

२५/९/२०२०

अपर संविवेदन